अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमॉकः–एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2019–20/ 1069 दिनांक :– 29-7-2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**राजकीय महाविद्यालयों में सत्र् 2020–21 हेतु प्रवेश प्रकिया के व्यापक प्रचार प्रसार कराने के सम्बन्ध में।**

जैसाकि आपको विदित है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में सत्र् 2020–21 हेतु ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया दिनांक 28 जुलाई 2020 से प्रारम्भ हो चुकी है। इस ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में जन साधारण एवं विद्यार्थियों का ध्यान आकृर्षित करने एवं राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश लेने हेतु प्रोत्साहित करने बाबत् इस ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देशों की पालना प्राचार्यगण व्यक्तिशः सुनिश्चित करें :–

1. इस ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में महाविद्यालय परिसर में बैनर व पोस्टर के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जावे ।

2. स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में इस ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में समय–समय पर समाचार प्रकाशित करवाया जावे ।

3. महाविद्यालय परिसर के अलावा जिला मुख्यालय/तहसील स्तर/जिला परिषद् स्तर के विशिष्ट स्थानों पर, जहां आम जन का अत्यधिक आवागमन हो, वहां पोस्टर व बैनर लगवाये जावें ।

4. नवीन महाविद्यालय जिला स्तर/क्षेत्रीय स्तर पर बस स्टेण्ड, मुख्य बाजार व विशिष्ट स्थल पर अत्यधिक पोस्टर चस्पा करवायें एवं बैनर तैयार कर ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया का विस्तृत उल्लेख करते हुये इन्हें इन स्थानों पर लगाया जावे ।

5. महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश प्रकिया हेतु एक हैल्प डेस्क स्थापित किया जावे ।

6. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हैल्पलाईन नम्बर का उल्लेख पोस्टर, बैनर व प्रकाशित करवाये जाने वाले समाचार में आवश्यक रूप से किया जावे ।

(बी0एल0गोयल)
अतिरिक्त आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमॉकः–एफ–7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2019–20/ 1069 दिनांक :– 29-7-2020

प्रतिलिपि – वेब साईट प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने बाबत् ।

29/7/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)